शासन / अप्रकि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 3520–एक / 14 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-8-15	आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने निगरानी प्रकरण कमांक 34/बी–121/07–08 में पारित आदेश दिनांक 05–09–08 का म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिये प्रकरण राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।	
	2/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं आदेशों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05–09–08 में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में 1972 एवं 1970 के दस्तावेजों पर विचार नहीं किया। अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर के आदेश दिनांक 16–10–72 पर विचार नहीं किया। अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में साक्ष्य लेना चाहिये थी एवं पुराने अभिलेख रिकार्ड रूम से	

बुलाकर मिलान करन के उपरान्त पृथक से कोई आदेश पारित करना चाहिये था। अतः अपर आयुक्त व्दारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त व्दारा निकाले गये उक्त निष्कर्ष किस प्रकार अभिलेख के विपरीत है, इस संबंध में आयुक्त, सागर संभाग ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 19–09–14 में कोई विवरण अंकित नहीं किया है और ना ही यह दर्शाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश किस प्रकार पक्षकार को समुचित साक्ष्य का अवसर देने के बाद अभिलेख सम्मत पारित किया गया है। संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन सीमित आधारों पर ही किया जा सकता है। अपर आयुक्त के आदेश का रिव्यू करने का कौन–सा आधार प्रथमदृष्टया अभिलेख से है, इसका भी उल्लेख प्रतिवेदन दिनांक 19–09–14 में नहीं किया गया। ऐसी दशा में आयुक्त के प्रतिवेदन दिनांक 19–09–14 के आधार पर पुनर्विलोकन अनुमति दिये जाने का समुचित आधार नहीं होने से पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती। अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के निर्णय दिनांक 05/09/2008 को संज्ञान में लेते हुये एस.डी.ओ. निवाडी व्यवस्थापन की कार्यवाही करें ।

पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अभिलेख सहित आयुक्त, सागर संभाग, सागर को भेजी जाय। यह प्रकरण समाप्त हों।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

जगदीश, पप्पू — वगैरह
विविध 3520-I/14

निग0	34 बी/121 2 2007-08	3
19-09-14	कलेक्टर टीकमगढ़ के पत्र कमांक 1398/रीडर/कले0/2014 दिनांक 04-07-2014 के द्वारा तहसीलदार निवाड़ी का राजस्व प्रकरण कमांक 1318/बी-121 वर्ष 2006-07/अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के राजस्व प्रकरण कमांक 56/बी-121 वर्ष 2013-14/कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 82/बी-121 वर्ष 2013-14 संलग्न कर प्रेषित किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निवाड़ी खास स्थित भूमि ख0नं0 32/1/4 रकवा 2.000 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में म0प्र0 शासन दर्ज थी। हल्का पटवारी द्वारा उक्त शासकीय भूमि को बिना किसी वैधानिक अंतरण के अनुचित तरीके से प्रश्नाधीन भूमि पर धर्मा एवं कपूरा का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज कर लिया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के आदेश दिनांक 21-08-2007 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि घोषित की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के उपरोक्त आदेश दिनांक 21-08-2007 के विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय सागर संभाग सागर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 34/बी-121 वर्ष 2007-08 में लिए गए निर्णय दिनांक 05-09-2008 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी का उक्त आदेश दिनांक 21-08-2007 निरस्त किया गया। कलेक्टर टीकमगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि ग्राम निवाड़ी ख0नं0 32/1/4 रकवा 2.000 हे0 भूमि म0प्र0 शासन की भूमि है और यह भूमि ग्राम निवाड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 76 से लगी हुई बहुमूल्य भूमि है जिसे जगदीश, पप्पू बगैरा ने बिना किसी वैधानिक आदेश के उक्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज कराया है। अतः अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 34/बी-121 वर्ष 2007-08 में लिए गए निर्णय दिनांक 05-09-2008 को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन में लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। कमिश्नर, सागर संभाग, सागर माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0	

तत्काल
किशोर कुमार

क्रमांक 32417
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ______ को प्राप्त
20-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

D:\all files\regular order sheet.doc